CHHATTISGARH
DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION
PROGRESS • DEVELOPMENT • HARMONY

DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHHATTISGARH
संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़
Government Girl's Polytechnic Campus, Byron Bazaar, Raipur - 492001
शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक परिसर, बैरन बाजार, रायपुर - 492001

Phone : 0771- 2331330, 2421376, Fax : 2331331, Website : http://www.cgdteraipur.ac.in

:: PPT-2010 ::

पी.पी.टी 2010 के माध्यम से पॉलीटेक्निक संस्थानों में संचालित डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाईन काउंसिलिंग की सूचना

राज्य में स्थित शासकीय पॉलीटेकनिक संस्थाओं एवं निजी पॉलीटेकनिक संस्थाओं में संचालित डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में सत्र 2010–11 में प्रवेश पी.पी.टी. – 2010 के मेरिट रैंक के आधार पर ऑन लाईन काउंसिलिंग निम्न समय सारिणी के अनुसार होंगे ।

ऑन लाईन काउंसिलिंग कार्यक्रम

स.क.	विवरण	दिनांक से	दिनांक तक
1	दस्तावेज परीक्षण केन्द्र (Document Verification Centre) में दस्तावेजों का परीक्षण एवं ऑनलाईन फार्म भरने का कार्य	28 अगस्त 2010 प्रातः 10.00 बजे	06 सितंबर 2010 सायं 6.00 बजे
		(बुधवार 01 सितंबर को DVC बंद रहेगा ।)	
2	प्रथम चरण का सीट आबंटन की सूची वेबसाइट www.mkcl.biz/cgppt में जारी करना	08 सितंबर 2010 (समय प्रातः 11.00 बजे) आबंटन सूची की जानकारी दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों में भी उपलब्ध रहेगी ।	
3	आबंटित संस्था में प्रवेश लेने का कार्य	08 सितंबर 2010	13 सितंबर 2010 (सायं 5.00 बजे तक)
4	संस्थाओं में रिक्त रह गई सीटों की जानकारी वेबसाइट www.mkcl.biz/cgppt में अपलोड करना	13 सितंबर 2010 (रात्रि 8.00 बजे) रिक्त सीटों की जानकारी दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों में भी उपलब्ध रहेगी	
5	दस्तावेज परीक्षण केन्द्र (Document Verification Centre) में दस्तावेजों का परीक्षण (द्वितीय चरण)	14 सितंबर से 16 सितंबर 2010 तक प्रातः 10.00 से सायं 6.00 बजे तक	
6	द्वितीय चरण का सीट आबंटन की सूची जारी करना	17 सितंबर 2010 (समय अपरान्ह 4.00 बजे)	
7	आबंटित संस्था में प्रवेश लेने का कार्य	20 सितंबर 2010 तक (20 सितंबर के पश्चात् कोई भी प्रवेश मान्य नहीं होगा ।)	

अभ्यर्थी को 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है साथ ही साथ गणित एवं विज्ञान विषय में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । कृपांक (ग्रेस) से उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी प्रवेश हेतु पात्र हैं । **अर्हकारी परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा पूरक** अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं है। पी.पी.टी. – 2010 में शून्य प्राप्तांक प्राप्त अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं है ।

निजी संस्थाओं में अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी प्रवेश हेतु पात्र हैं । शासकीय संस्थाओं में प्रवेश के लिये केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी ही पात्र हैं ।

अभ्यर्थी **ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फार्म एवं विकल्प भरने तथा दस्तावेज परीक्षण हेतु** निम्न समय सारिणी के अनुसार ओवरआल रैंक के आधार पर (केटेगरी रैंक के आधार पर नहीं) **काउंसिलिंग स्थल में कार्यालयीन समय प्रातः 10.00 से सायं 6.00 बजे तक उपस्थित हों । अभ्यर्थी किसी भी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में काउंसिलिंग हेतु उपस्थित हो सकते हैं एवं प्रातः 10.00 से सायं 6.00 बजे के मध्य कभी भी आ सकते हैं । दोपहर 1.30 से 2.00 बजे तक भोजन अवकाश रहेगा ।**

दिनांक	पी.पी.टी. ओवर ऑल रैंक	
	से	तक
28 अगस्त 2010	1	2300
29 अगस्त 2010	2301	4600
30 अगस्त 2010	4601	6900
31 अगस्त 2010	6901	10200
02 सितंबर 2010	10201	12500
03 सितंबर 2010	12501	14800
04 सितंबर 2010	14801	17100
05 सितंबर 2010	17101	19400
06 सितंबर 2010	19401	20696

1. जो अभ्यर्थी किसी कारण वश निर्धारित तिथि में उपस्थित नहीं हो सके वे अपने रैंक से बाद की तिथि में भी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में उपस्थित होकर दस्तावेज का परीक्षण करवा सकते हैं । दस्तावेज परीक्षण करवाने पर ही आबंटन हेतु विचार किया जायेगा । जिन्होंने दस्तावेज परीक्षण नहीं करवाया है, उनके आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा ।

टीप : 1. पॉलीटेकनिक संस्थाओं में उपलब्ध सीटों की संख्या सीमित है (लगभग 3432 सीट)। पी.पी.टी. – 2010 नियम पुस्तिका में दिये गये संस्थाओं एवं सीटों के अतिरिक्त शासकीय पॉलीटेकनिक, गरियाबंद तथा निजी पॉलीटेकनिक एन.एम.डी.सी. डी.ए.व्ही., पॉलीटेकनिक, दंतेवाड़ा तथा मनसा पॉलीटेकनिक, कोहका रोड, दुर्ग में भी प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी । इसके अलावा शासकीय पॉलीटेकनिक, नारायणपुर, बीजापुर, कोरिया, जशपुर एवं कांकेर में प्रवेश देना भी विचाराधीन है । अतः इन संस्थाओं का भी विकल्प भरा जा सकता है । तथापि आबंटन तभी होगा जब शासन द्वारा इस पर अंतिम निर्णय ले लिया जाये । सीटों की संख्या सीमित होने के कारण तथा आरक्षण होने के कारण अनारक्षित श्रेणी के पी.पी.टी. – 2010 ओवर ऑल रैंक 5000 के उपर के अभ्यर्थियों को सीट मिलने की संभावना कम है । आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी मेरिट के आधार पर ही सीट आबंटित की जायेगी । सब के सब आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सीट मिलने की संभावना नहीं तथापि चूंकि आबंटन का कार्य अंत में होगा चांस लेने हेतु आवेदन भरा जा सकता है । अतः अधिक रैंक के अभ्यर्थी भी चांस लेने हेतु काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं । परंतु आबंटन नहीं होने पर भी एक बार जमा की गई काउंसिलिंग फीस वापसी योग्य नहीं है । सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है 2. केवल रजिस्ट्रेशन कर लेने एवं फार्म भर लेने से ही प्रवेश का अधिकार नहीं बन जाता । प्रवेश 1. सीटों की उपलब्धता 2. पी.पी.टी.–2010 की मेरिट एवं 3. आरक्षण की उपलब्धता के आधार पर होगा

काउंसिलिंग स्थल (दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों) की सूची

स. क्र.	दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों का नाम एवं पता	जिला	दूरभाष कमांक	स. क्र.	दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों का नाम एवं पता	जिला	दूरभाष कमांक
1	शास.पॉलीटेकनिक, अंबिकापुर, मनेन्दगढ़ नाका, अंबिकापुर	सरगुजा	07774–220609	10	शासकीय पॉलीटेकनिक, रायगढ़, चक्रधर नगर, रायगढ़	रायगढ	07762–222737
2	शास. इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर, कोनी,, बिलासपुर	बिलासपुर	07752–260289	11	शासकीय पॉलीटेकनिक, कबीरधाम, पुराना जिला पंचायत भवन, कबीरधाम	कबीरधाम	07741–232636
3	शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक, बिलासपुर, कोनी, बिलासपुर	बिलासपुर	07752–260258	12	शासकीय पॉलीटेकनिक, कोरबा, रूमगरा, बाल्को नगर, कोरबा	कोरबा	07759–215696
4	शासकीय पॉलीटेकनिक, तखतपुर, मेन रोड, तखतपुर	बिलासपुर	07753–264963	13	शासकीय पॉली., महासमुन्द, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द	महासमुन्द	07723–224818
5	शास. इंजी. महा. जगदलपुर धरमपुरा नं– –2, जगदलपुर	बस्तर	07782–229436	14	संचालनालय तकनीकी शिक्षा, बायरन बाजार, रायपुर	रायपुर	0771–2421376
6	शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक, जगदलपुर, धरमपुरा नं.–2, जगदलपुर	बस्तर	07782–229230	15	शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक रायपुर, बायरन बाजार, रायपुर	रायपुर	0771–2423045
7	शासकीय पॉलीटेकनिक, धमतरी, रूद्री, धमतरी	धमतरी	07722–237618	16	शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक राजनांदगॉव, तहसील कार्यालय, राजनांदगॉव	राजनांदगॉव	07744–226830
8	शासकीय पॉलीटेकनिक, दुर्ग, जी.ई. रोड, दुर्ग	दुर्ग	0788–2323548	17	शासकीय पॉलीटेकनिक, खैरागढ़, मेन रोड, खैरागढ़	राजनांदगॉव	07820–234010
9	शासकीय पॉलीटेकनिक, जांजगीर, खोखरा भाटा, जांजगीर–चांपा	जांजगीर	07817–222026				

1. आवेदन सह विकल्प फार्म भरना एवं प्राथमिकता कम देना : अभ्यर्थी को काउंसिलिंग फार्म प्रारूप – 11 में भरने की आवश्यकता नहीं है । इसके स्थान पर उसे एक आवेदन सह विकल्प फार्म (**Application cum Option Form)** भरकर काउंसिलिंग स्थल में ले जाना होगा । आवेदन सह विकल्प फार्म का प्रारूप वेबसाईट www.mkcl.biz/cgppt में दिया हुआ है । जहाँ से इसका प्रिंट लिया जा सकता है । आवेदन सह विकल्प फार्म को किसी भी काउंसिलिंग स्थल से भी प्राप्त किया जा सकता है । आवेदन सह विकल्प फार्म में संस्थाओं एवं ब्रांचों के नाम दिये रहेंगे, जिसमें आपको उनकी प्राथमिकता देनी होगी । जिस प्राथमिकता क्रम में आप प्रवेश लेना चाहते हैं ।

प्राथमिकता क्रम का तात्पर्य है जिस प्राथमिकता क्रम में आप प्रवेश लेना चाहते हैं जैसे उदाहरण के लिये यदि आप दुर्ग के मेकेनिकल ब्रांच में पहले प्रवेश लेना चाहते हैं तो उसका प्राथमिकता क्रम – 1 दें, यदि दूसरे प्राथमिकता में आप दुर्ग में सिविल ब्रांच चाहते हैं तो इसका प्राथमिकता क्रम – 2 दें इसी प्रकार यदि आप रायगढ़ में मेकेनिकल ब्रांच लेना चाहते हैं तो इसका प्राथमिकता क्रम – 3 दें, इसी प्रकार अन्य प्राथमिकता क्रम दें एवं अधिक से अधिक प्राथमिकता क्रम दें । ध्यान रहे कि आपको एक ही ब्रांच एवं संस्था का आबंटन होगा । अतः सोच समझकर प्राथमिकता क्रम भरें । परंतु जहाँ आप प्रवेश लेना ही नहीं चाहते उसका विकल्प न दें ।

इसी विकल्प फार्म के आधार पर आपके द्वारा दिये गये विकल्पों का क्रम कम्प्यूटर में एण्ट्री की जायेगी एवं इसका कम्प्यूटर से प्रिंट आउट लेकर आपको एक प्रति दी जायेगी जिसका नाम पावती सह विकल्प फार्म (**Acknowledgement cum Option Form)** रहेगा। इसको ठीक से जांच कर लें कि इसमें विकल्प का क्रम वैसा ही है जैसा आपने विकल्प का क्रम दिया है साथ ही अन्य जानकारियों का निरीक्षण कर लें । यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसे ठीक करने के लिये कहें और जब यह सही हो तब इसमें हस्ताक्षर करें एवं यह भी देख लें कि संबंधित अधिकारी के भी हस्ताक्षर हो चुके हैं। इसके पश्चात् इस विकल्प फार्म में कोई बदलाव मान्य नहीं होगा । **Acknowledgement cum Option Form** में आपका आई.डी. नंबर दिया रहेगा । इसे याद रखें । आबंटन पत्र का प्रिंट निकालते समय एवं संस्था में प्रवेश के समय इसकी आवश्यकता होगी ।

2. दस्तावेज परीक्षण कराना (Document Verification) –

आबंटन से पूर्व आपके दस्तावेजों का परीक्षण होना अनिवार्य है, इसके बिना आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा । दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है, पालक को साथ में लाना अनिवार्य नहीं है तथापि यदि आवश्यक हो तो केवल एक पालक साथ में आ सकते हैं । दस्तावेज परीक्षण का कार्य संचालनालय द्वारा निर्धारित 17 दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों में से अपने निकटस्थ दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में कराया जा सकता है । ध्यान रहे कि यदि आपने विकल्प तो भरा है परंतु कम्प्यूटर से इसका प्रिंट आउट प्राप्त नहीं किया है तो आपका आबंटन नहीं हो पायेगा । क्योंकि DVC द्वारा ऑन लाईन आपका आवेदन कन्फर्म करने के पश्चात् ही आपका विकल्प डाटाबेस में आयेगा ।

सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य दस्तावेज – सभी प्रमाण पत्रों के मूल (Original) एवं 01 सेट फोटोकॉपी लेकर जाना अनिवार्य है परंतु मूल प्रमाण पत्र DVC में जमा नहीं करना है । केवल दिखाना है ।

1. पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन सह विकल्प फार्म । वेबसाइट से प्रिंट आउट ले लें अथवा **DVC** से प्राप्त करें ।

2. 10वीं की अंकसूची **पूरक अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं है ।**

2. पी.पी.टी. – 2010 की अंकसूची (यदि मूल अंकसूची न हो तो इंटरनेट से निकाला हुआ भी ला सकते हैं) ।

3. छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र 04 प्रारूपों (प्रारूप क्रमांक – 5, 6, 7 या 8) में से किसी एक में।
(च्वाइंस सेंटर से बना निवास प्रमाण पत्र भी मान्य होगा ।)

4. भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़ के नाम से संचालित खाता क्रमांक **31077008863** में काउंसिलिंग फीस रु. 300/– जमा करने की बैंक चालान की **DTE** कॉपी जमा करना है । पी.पी..टी. नियम पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक – 57 में जो बैंक चालान का जो प्रारूप दिया गया है उसमें रु. 2,000/– अग्रिम फीस का उल्लेख है । इस प्रारूप में **रु. 2,000/– के स्थान पर रु. 300/–** तथा **अग्रिम फीस के स्थान पर काउंसिलिंग फीस** सुधार कर इसका उपयोग किया जा सकता है अथवा वेबसाइट से नया बैंक चालान फार्म भी डाउन लोड कर भी उपयोग किया जा सकता है । **बिना रु. 300/– का चालान जमा किये आवेदन मान्य नहीं होगा** । काउंसिलिंग फीस सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को जमा करना है इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं है । एक बार जमा की गई काउंसिलिंग फीस वापसी योग्य नहीं है ।

आरक्षित श्रेणियों के लिये अनिवार्य दस्तावेज –

5. छत्तीसगढ़ राज्य के SC/ST/OBC होने के लिये **स्थायी जाति प्रमाण पत्र** (अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथापि अनारक्षित श्रेणी में मेरिट के आधार पर आबंटन किया जायेगा) । अन्य राज्य के SC/ST/OBC के प्रमाण पत्र धारी को छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने पर भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथापि अनारक्षित श्रेणी में मेरिट के आधार पर आबंटन किया जायेगा ।

6. छत्तीसगढ़ राज्य के SC/ST/OBC होने के लिये **जाति सत्यापन प्रमाण पत्र** । यदि जाति सत्यापन प्रमाण पत्र न बना हो तो इसके लिये 02 माह का समय दिया जायेगा । इसके पश्चात् भी प्रमाण पत्र जमा न करने पर प्रवेश निरस्त किया जा सकता है ।

7. यदि अभ्यर्थी सैनिक(S) वर्ग में आता है तो सैनिक कल्याण बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रारूप 3(अ),(ब)या (स)

8. यदि अभ्यर्थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) वर्ग में आता है तो निर्धारित प्रारूप – 4 में कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र

9. यदि अभ्यर्थी विकलांग (PH) है तो विकलांगता प्रमाण पत्र (1) जिला मेडिकल बोर्ड से (2) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु संचालित व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर का प्रमाण पत्र।

टीप : विकलांग छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे उन्हीं ब्रांच का विकल्प भरें जिनके अध्ययन करने हेतु उन्हें उपयुक्तता प्रमाण पत्र दिया गया हैं/उपयुक्त हैं ।

यदि आपके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो डाटाबेस में दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका प्रवर्ग (**category**) SC/ST/OBC को परिवर्तित कर UR कर दी जायेगी एवं आपका आबंटन UR के मेरिट के आधार पर होगा न कि आरक्षित श्रेणी के आधार पर । यदि आपके पास जाति सत्यापन प्रमाण पत्र नहीं है तो इसे बनाने के लिये प्रवेश तिथि से लेकर 02 माह का समय दिया जायेगा । यदि आप 02 माह के भीतर भी जाति सत्यापन प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाये एवं यदि आपका आबंटन आरक्षित श्रेणी में हुआ है तो आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की रहेगी । उसी प्रकार यदि आपके पास सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं विकलांग का प्रमाण पत्र नहीं है तो संबंधित वर्ग (**class**) को **NIL** में परिवर्तित कर दिया जायेगा एवं तद्नुसार आबंटन होगा ।

टीप :– यदि आपको किसी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र से कोई शिकायत हो तो इसकी लिखित शिकायत स्वयं उपस्थित होकर संचालनालय में की जा सकती है ।

3. प्रथम चरण का सीट आबंटन :

(अ) दस्तावेज परीक्षण केन्द्र से सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् **दिनांक 08 सितंबर 2010 को प्रातः 11.00 बजे** संस्था/ब्रांच आबंटन कर दिया जायेगा । अभ्यर्थी को उनके द्वारा दिये गये विकल्प का आबंटन उनके पी.पी.टी. के मेरिट के आधार तथा उस वर्ग/प्रवर्ग में वह सीट उसकी बारी आने तक उपलब्ध रहने के आधार पर होगा । चूंकि समस्त अभ्यर्थियों को बुला लिया गया है अतः यदि आरक्षित श्रेणी यथा Vertical (ST, SC, OBC) Horizontal (S,FF, PH) की सीटें रिक्त रह जाती है तो इसे नियमानुसार कन्वर्ट कर सीट आबंटन कर दिया जायेगा । आबंटन सूची इसी वेबसाइट पर देखा जा सकती है, यदि आपने मोबाइल नंबर दिया हो तो **SMS** के द्वारा आपको सूचित किया जायेगा । **SMS** प्राप्त नहीं होने की जिम्मेदारी संचालनालय/एम.के.सी.एल. की नहीं रहेगी ।

(ब) वेबसाइट में आप अपने एप्लीकेशन आईडी नंबर डालकर अपना अस्थायी आबंटन पत्र (Provisional Allotment Letter) का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं । अस्थायी आबंटन पत्र इंटरनेट द्वारा कहीं से भी निकाला जा सकता है तथा दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों से भी प्राप्त की जा सकती है ।

4. संस्था में प्रवेश लेना : अस्थायी आबंटन पत्र की 02 कॉपी करा लें तथा 01 कॉपी लेकर तथा समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति एवं 01 सेट फोटोकॉपी के साथ आबंटित संस्था में निर्धारित तिथि तक प्रवेश प्राप्त करें । आबंटित संस्था में उपरोक्तानुसार दिये गये निर्धारित अवधि तक प्रवेश लेना अनिवार्य है । यदि इस अवधि में प्रवेश नहीं लिया जाता है तो आपका आबंटन स्वमेव निरस्त माना जायेगा । ध्यान रखें कि प्रवेश के समय आबंटित संस्था में भी आपके दस्तावेजों का जांच होगा । अतः यह सुनिश्चित कर लें कि संस्था में प्रवेश के लिये अस्थायी आबंटन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेजों एवं निर्धारित फीस के साथ संस्था में उपस्थित हों । आबंटन होने के पश्चात् छात्रों के संस्था में प्रवेश के समय भी संस्था द्वारा उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जायेगी, यदि प्रवेश के समय अथवा उसके बाद भी किसी स्तर पर यह ज्ञात होता है कि छात्र की किसी त्रुटि से अथवा गलत जानकारी देने के कारण गलत प्रवेश हो गया है तो प्रवेश रद्द करने का अधिकार संचालनालय/संस्था को रहेगा। चूंकि प्रवेशित छात्रों की जानकारी संस्थाओं द्वारा ऑन लाईन रोजाना अपडेट की जाती रहेगी । अतः छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश सुनिश्चित करने के लिये अपने सामने ही वेबसाइट के इंस्टीट्यूट लॉग इन में अपना प्रवेश कन्फर्म करवा लें ।

5. प्रथम चरण के प्रवेश के पश्चात् संस्था में रिक्त रह गई सीटों की जानकारी –

प्रथम चरण में प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् संस्था वार, ब्रांचवार एवं केटेगरी वार रिक्त सीटों की जानकारी वेबसाईट में **दिनांक 13 सितंबर 2010 को रात्रि 8.00 बजे** दे दी जायेगी ।

6. द्वितीय चरण हेतु काउंसिलिंग केन्द्रों में दस्तावेज का परीक्षण कराना – द्वितीय चरण में निम्न अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं : 1. नये अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में शामिल नहीं हुये थे, ऐसे अभ्यर्थी को प्रथम चरण के समान दस्तावेज परीक्षण कराने हेतु एवं चालान जमा करने हेतु दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जाना होगा ।

2. वे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में शामिल हुये थे परंतु जिन्हें सीट आबंटन नहीं हुआ, ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलना चाहते है तो उन्हें पुनः रु. 300/– का चालान जमा करने हेतु दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में उपस्थित होना पड़ेगा

परंतु इन्हें पुनः दस्तावेज परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी । जो अभ्यर्थी अपने विकल्प नहीं बदलना चाहते उन्हें पुनः दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में आने की आवश्यकता नहीं है, न ही पुनः चालान जमा करने की आवश्यकता है । वे स्वमेव आबंटन प्रक्रिया में शामिल रहेंगे ।

3. वे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में शामिल हुये थे एवं जिन्हें सीट आबंटन हुआ था पर वे संस्था में प्रवेश नहीं लिये थे एवं पुनः द्वितीय चरण में शामिल होना चाहते हैं उन्हें पुनः रु. 300/– का चालान जमा करने हेतु दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में उपस्थित होना पड़ेगा परंतु इन्हें पुनः दस्तावेज परीक्षण कराने की आवश्यकता नहीं होगी ।

4. वे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में शामिल हुये थे एवं आबंटन के पश्चात् संस्था में प्रवेश ले लिये हैं, यदि वे द्वितीय चरण में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें पुनः रु. 300/– का चालान जमा करने हेतु दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में उपस्थित होना पड़ेगा परंतु इन्हें पुनः दस्तावेज परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी । परंतु उनकी पूर्व आबंटन वाली सीट निरस्त हो जायेगी और यह आवश्यक नहीं कि द्वितीय चरण में अभ्यर्थी को उच्च प्राथमिकता वाली अथवा यही सीट पुनः उसे मिले । अतः प्रवेशित छात्र सोच समझकर द्वितीय चरण में भाग लें ।

7. द्वितीय चरण का सीट आबंटन

द्वितीय चरण का संस्था/ब्रांच आबंटन **<u>दिनांक 17 सितंबर 2010 को अपरान्ह 4.00 बजे</u>** कर दिया जायेगा, जिसका वेबसाइट www.mkcl.biz/cgppt में अवलोकन किया जा सकता है एवं **sms** के द्वारा भी सूचित किया जायेगा ।

8. आबंटित संस्था में प्रवेश लेने का कार्य

द्वितीय चरण में आबंटित अभ्यर्थियों को संबंधित संस्था में निर्धारित अवधि में प्रवेश लेना अनिवार्य है । निर्धारित अवधि में प्रवेश नहीं लेने पर आबंटन स्वमेव निरस्त माना जायेगा । जो अभ्यर्थी पूर्व में कही प्रवेश ले चुके थे, उन्हें तात्कालिक रूप से स्थानांतरण प्रमाण पत्र के बिना भी प्रवेश लेने की अनुमति है । परंतु बाद में स्थानांतरण प्रमाण पत्र जमा करना होगा ।

9. ***फी वेव्हर स्कीमः–*** संस्थाओं में ट्यूशन फी वेव्हर स्कीम लागू की गयी है जिसके अंतर्गत संस्थाओं को स्वीकृत सीटों की अधिकतम दस प्रतिशत सीटें मेरिट के आधार पर फी वेव्हर स्वीकृत किया जा सकेगा । फी वेव्हर के लिए चयनित छात्र को शिक्षण शुल्क में शत प्रतिशत छूट प्राप्त होगी । इस संबंध में पी.पी.टी. – 2010 प्रवेश निर्देशिका के पृष्ठ क्रमांक – 25 बिन्दु क्रमांक – 2.14 का अध्ययन कर लें । निजी संस्था में प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त प्रवेश होने पर ही उतने संख्या के बराबर ट्यूशन फी वेव्हर देय होगा । नवीन संस्थाओं में फी वेव्हर देय नहीं है ।

10. **शुल्कः –**

1. शासकीय संस्थाओं के फीस के संबंध में कृपया नियम पुस्तिका के पृ.क्र. – 24, बिन्दु क्रमांक 2.12 का अवलोकन करें ।
2. निजी संस्था आई.बी.टी. कॉलेज ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग, अहिवारा, जिला – दुर्ग का कुल शुल्क रु. 11,450/– प्रति सेमेस्टर है । इसके अतिरिक्त कॉशन मनी – रु. 1500/– (केवल एक बार प्रवेश के समय), हॉस्टल फीस – रु. 4000/– प्रति सेमेस्टर तथा ट्रांसपोर्ट फीस – रु. 4000/– प्रति सेमेस्टर निर्धारित है ।
3. निजी पॉलीटेकनिक संस्थायें एन.एम.डी.सी., डी.ए.व्ही. पॉलीटेकनिक तथा मनसा पॉलीटेकनिक की फीस निर्धारित नहीं की गई है । फीस विनियामक समिति द्वारा जो फीस निर्धारित की जायेगी वह देय होगी ।

<u>11. **किसी भी अभ्यर्थी को काल लेटर नहीं भेजा जा रहा है। इस विज्ञापन को ही सूचना मानें** ।</u>

12. निजी संस्थान के अन्य राज्य कोटा के अंतर्गत राज्य के मूल निवासी के साथ–साथ अन्य राज्यों छात्र भी प्रवेश ले सकते हैं परंतु इसके लिये सी.जी. पी.पी.टी. 2010 का स्कोर कार्ड होना आवश्यक है ।

13.यह काउंसिलिंग कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से परिवर्तित हो सकती है जिसकी सूचना समाचार पत्रों में दी जायेगी ।

14.किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में संचालक, तकनीकी शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा ।

15.काउंसिलिंग के संबंध में विस्तृत जानकारी www.mkcl.biz/cgppt एवं www.cgdteraipur.ac.in में दी गई है । आवश्यक पूछताछ के लिये दूरभाष क्रमांक 0771–2421376 एवं मोबाइल नंबर 98274–72366 पर संपर्क किया जा सकता है ।

16.वेबसाइट www.mkcl.biz/cgppt में पिछले वर्ष सत्र 2009–10 का पॉलीटेकनिक संस्थाओं का मेरिट कट ऑफ रैंक, विभिन्न प्रारूपों की जानकारी, बैंक चालान का प्रारूप, संस्थाओं की सूची, दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों (काउंसिलिंग केन्द्र) की सूची एवं अन्य जानकारियाँ दी हुई है, कृपया इसका अवलोकन कर लें । ताकि किसी तरह की प्रक्रिया में बदलाव अथवा अद्यतन जानकारी से अवगत रहें ।

संचालक
तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ